

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 3-6/2021/सात-3,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 13 JUN 2022

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छत्तीसगढ़।

विषय :- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पुजारी/बैगा/गुनिया/ मांझी/हाट पहरिया/बाजा मोहरिया को शामिल करने बाबत।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.06.2022.

-00-

विषयांतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 16.08.2021 में आंशिक संशोधन उपरांत योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है के साथ-साथ आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया एवं बाजा मोहरिया, को भी शामिल किया गया है।

2/ यह स्पष्ट किया जाता है कि हाट पहरिया एवं बाजा मोहरिया अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति या अन्य वर्ग के द्वारा भी उक्त कार्य किया जाता है। अपने क्षेत्र के हाट पहरिया या बाजा मोहरिया जो अनुसूचित जाति या अन्य वर्ग के हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदाय किया जायेगा, बशर्ते वे कृषि भूमि धारण तो करते हों परंतु शासन की अन्य किसी भी योजना से लाभ प्राप्त न कर रहे हों।

3/ अतः योजनांतर्गत उपरोक्तानुसार पात्र हितग्राहियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर संशोधित कार्ययोजना अनुरूप कार्य संपादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(नीलम नामदेव एक्का)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 13 JUN 2022

क्रमांक एफ 3-6/2021/सात-3,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग